संख्या-296/2020/800/22-2-2020-24जी/2017

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2020***

विषय: 15 अगस्त, 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 40 सिद्धदोष बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-19553/प्रोबेशन-6/142/अर्थदण्ड, दिनांक 11.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जो कि मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा भोग लिये हैं लेकिन अर्थदण्ड न जमा कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा भोग रहे हैं, की कुल 64 सिद्धदोष बन्दियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें से 24 बन्दी पाक्सो/एन0डी0पी0एस0/पोटा/विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित हैं तथा शेष 40 अन्य प्रकृति के दण्ड से दण्डित हैं। उक्त सूची में से पाक्सो/एन0डी0पी0एस0/पोटा/विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित 24 बन्दियों को छोड़कर शेष 40 बन्दियों की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सूची के कालम-10 पर अंकित अवशेष अर्थदण्ड की धनराशि किसी स्वयं सेवी संस्था/समाज सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट के सहयोग से जमा कराकर, यदि किसी अन्य मामले में निरूद्ध रखना वांछित न हो तो, उन्हें कारागार से रिहा किये जाने के सम्बन्ध में निरूद्धि की कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार को अपने स्तर से निदेशित करने का कष्ट करें। जुर्माना जमा कराये जाने से पूर्व स्वयं सेवी संस्था/समाज सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट की वैधानिक पवित्रता की जांच भी कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु सभी औपचारिकताएं 14 अगस्त, 2020 तक पूर्ण कर ली जांय तथा **15 अगस्त, 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस** के शुभ अवसर पर रिहाई सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-296/2020/800(1)/22-2-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श कारागार/केन्द्रीय/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।